BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 756 OF 2023

Sachin Tyagi and ors. Applicants

Versus

Ritesh Sharma and Anr Ors. Respondents

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Action Taken report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board.	
2.	Annexure 1 Copy of the notice dated 04.04.2024	
3.	Annexure 2 Copy of the letter dated 07.06.2024	
4.	Annexure 3 Copy of the notice dated 17.04.2025	

Filed by

[MUKESH VERMA] Advocate for the DM, Bhagpat
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India, New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 09.10.2025

ACTION TAKEN REPORT
IN THE MATTER OF
Sachin Tyagi & Ors Versus Ritesh Sharma & anr.
Original Application No. 756/2023

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 756/2023 सचिन त्यागी बनाम रितेश शर्मा में दिनांक 10.12.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:-

The Applicant has pointed out that such illegal midstream sand mining by using heavy machines is still going on between Baghpat and Panipat. Hence, we constitute a fresh Committee comprising of the representative of MoEF&CC, representative Member Secretary, CPCB and RO, MoEF&CC Chandigarh and Lucknow. The RO, MoEF&CC, Lucknow will act as the Coordinating Agency. The Committee will visit the site in question specifically the sites disclosed in the photographs enclosed along with objections of Applicant and the area where the lease has been granted to the Respondent No. 5.

The Committee will ascertain the extent of illegal sand mining being done in that area and the persons responsible for the same and extent of illegal sand mining, if any, done by the Respondent No. 5 and will submit the report before the Tribunal within 8 weeks.

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पोर्टल पर अपलोड की गयी। गठित कमेटी की आख्या के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

3.2.1 Findings of the Joint Committee regarding the extent of illegal sand mining, if any, done by Respondent No. 5, M/s Royal Construction Co:

The Joint Committee adopted following approach to ascertain the extent of illegal sand mining, if any, done by Respondent No. 5, M/s Royal Construction Co:

b. The joint committee tried to obtain free satellite images of the area for the period corresponding to the dates mentioned in the photographs submitted by the applicant by plotting the coordinates of the leased mining area on the Google Earth platform and accessing open-source satellite images from Airbus (EU) for the year 2014 for the mining lease of M/s Royal Construction Co. The Joint Committee was able to access a satellite image dated 18/06/2024 (Annexure-3 I), which depicts illegal mining activities outside the leased mining area in the state of Uttar Pradesh. The image also revealed multiple trucks and earth-moving machinery, along with vehicles using the leased area of M/s Royal Construction Co. to access the illegally mined area. However, no mining activities were observed within the leased mining area of M/s Royal Construction Co.

b. However, to ascertain the individual or company responsible for illegal mining outside the lease area as explained above, the Joint Committee asked the Mining Officer, Baghpat, to provide data on the total quantity of sand mined on 18/06/2024 by M/s Royal Construction Co, the date for which the Committee accessed satellite imagery. According to the information provided by the Mining Officer, Baghpat, 578 cubic meters of sand on 18/06/2024 (Annexure- J).

c. Since no mining activity was observed within the leased area of M/s Royal Construction Co. in the satellite image, it indicates that the company may have illegally mined the material from outside its designated lease area, as visible in the image.

d. Further, the Joint Committee requested the Mining Officer, Baghpat, to provide details of illegal mining cases reported to or by the Mining Department within a 2 km radius of M/s Royal Construction Co.'s mining lease area in the past, along with information on the individuals responsible for the illegal mining reported, if any.

............PTO

Scanned with OKEN Scanner

As per details provided by the Mining Officer, Baghpat M/s Royal Construction was found involved in;

i. Illegal extraction of 210 cubic meters of sand outside its lease area on 01/04/2024.

ii. Illegal extraction of sand below the water level on 06/04/2024.

iii. Illegal extraction of 1142.25 cubic meters of sand outside its lease area on 03 /06/2024.

e. In view of the above, the involvement of M/s Royal Construction Co, in illegal mining cannot be ruled out. About the extent of illegal mining, based on the data available with the Joint Committee for the period from 01/04/2024 to 18/06/2024, it indicates that M/s Royal Construction Co. has mined at least 1930.25 cubic meters of sand illegally. The extent of illegal mining by respondent No. 5, M/s Royal Construction Co., beyond the above period may be assessed by involving the Uttar Pradesh Remote Sensing Centre by accessing and interpreting historical 3D satellite images.

प्रकरण में गठित कमेटी की आख्यानुसार दिनांक 01.04.2024 से 18.06.2024 तक मै0 रॉयल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा 1930.25 घनमीटर अवैध बालू का खनन किये जाने का उल्लेख है। अवैध बालू खनन के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

01- कार्यालय के पत्र संख्या 051 दिनांक 04.04.2024 को कुल 210 घनमीटर बालू के अवैध खनन के लिए नियमानुसार 2,81,900/-रू0 जुर्माना अधिरोपित किया गया, जिसे पट्टाधारक द्वारा दिनांक 05.04.2024 को जमा कराया गया। **(संलग्नक-1)** Annexure 1

02- कार्यालय के पत्र संख्या 225 दिनांक 07.06.2024 को कुल 1142.25 घनमीटर बालू के अवैध खनन/परिवहन के लिये 6,45,477/-रू0 जुर्माना अधिरोपित किया गया, जिसे पट्टाधारक द्वारा दिनांक 28.06.2024 को जमा कराया गया। **(संलग्नक-2)** Annexure 2

03- कार्यालय के पत्र संख्या 177 दिनांक 17.04.2025 के तहत 578 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन के लिये नियमानुसार अंकन 4,25,420/-रू0 जुर्माना अधिरोपित किया गया, जिसे पट्टाधारक द्वारा दिनांक 02.07.2025 को जमा करा दिया गया। **(संलग्नक-3)** Annexure 3

इस प्रकार 1930.25 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन पर कुल 13,52,797/-रू0 जुर्माने के नोटिस निर्गत किये गये, जिसे पट्टाधारक मै0 रॉयल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बुलन्दशहर प्रो0 श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र श्री हस्वरूप निवासी बुलन्दशहर द्वारा जमा करा दिया गया था।

अतः प्रकरण में जमा करायी गयी धनराशि के चालान की प्रति संलग्न कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सादर प्रेषित है।

27/8/25

(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

(1)

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 051 /एम0सी0–अवैध खनन/2024 दिनांकः 04 अप्रैल, 2024

नोटिस

ROYAL CONSTRUCTION COMPANY
DEVIPURA 2 BULANDSHAHAR-203001
प्रो0 श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप,
निवासी मकान नम्बर–5, नई बेक पॉइंट
रेस्टोरेन्ट भूर चौराहा के पास यमुनापुरम,
बुलन्दशहर।

आपके पक्ष में जनपद–बागपत की तहसील–बडौत स्थित ग्राम–छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 है0 में साधारण बालू का खनन पट्टा दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 24.10.2028 तक स्वीकृत है। पत्र दिनांक 21.03.2024 के कम में उक्त खनन पट्टे की जॉच दिनांक 01.04.2024 को क्षेत्रीय सर्वे लेखपाल, छपरौली खादर, खान निरीक्षक, बागपत द्वारा की गयी। जॉच आख्यानुसार आपके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में पीलर सी व बी से बाहर जीओ कॉर्डिनेट N- 29° 13′ 14.195" E-77° 8′25.115" के आस–पास 35 मीटर लम्बाई, 15 मीटर चौडाई औसत 0.4 मीटर की गहराई में कुल 210 घनमीटर उपखनिज बालू का अवैध खनन/अवैध परिवहन किया गया।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। आप द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 210 घनमीटर बालू का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर कुल 210 घनमीटर बालू का अवैध खनन/परिवहन कर राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में 13650/–रू0, खनिज मूल्य के रूप में अंकन 68250/–रू0 तथा उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली–2021 के नियम 58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अंकन 2,00,000/–रू0 कुल धनराशि अंकन 2,81,900/–रू0 की राजस्व की क्षति पहुॅचाई गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवैध खनन/परिवहन की अधिरोपित धनराशि 2,81,900/–रू0 तत्काल निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय को ~~एक~~ तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवेध में उक्त धनराशि जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध नही करायी जाती है तो उक्त धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(हस्ताक्षर) 4/4/24
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनन),
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, बागपत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/4/24
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनन),
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक — 1

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 कोषागार प्रपत्र—201 (1)

398

प्रपत्र संख्या—43 ए (1) (प्रस्तर 417 एवं 470 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा: स्टेट बैंक बागपत/बड़ौत

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम: मै० रायल कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० दयाचन्द वर्गोती म०७ टेरस्क्रूप

2. पता: नि० — बुलन्दशहर

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो): बालू की उपरोक्त 23916 मे स्वीकृत क्षेत्र से बाहर

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है: 210 – घ०मी० बालू की रायल्टी व खनिज मूल्य व शमन शुल्क

5. चालान की सकल राशि

6. चालान की निबल राशि

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर: 13650/रायल्टी 68250 व खनिज मूल्य 200000/- अर्थदण्ड

8. लेखा—शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा—शीर्षक	उप मुख्य—शीर्षक	लघु शीर्षक	उप—शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0853	00	102			81900/-
					200000/-
				योग	281900/-

धनराशि (शब्दों में) दो लाख इक्यासी हजार नौ सौ मात्र —

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

कार्यालय जिलाधिकारी ... खनन अनुभाग ... बागपत

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
[signature]

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ______ अंकों में रू० 281900/-

दिनांक ______ 5/4 03465 शब्दों में रू० ______

भारतीय स्टेट बैंक / S.B.I. (0749) मुख्य शाखा, बागपत
05 APR 2024
P.F. No. 7868162 (RUPENDER KUMAR) Checker

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 225/एम०सी०/2023–24 दिनांकः 7 जून, 2024

रॉयल कंस्ट्रक्शन कम्पनी/370737 देवीपुरा–2
प्रो० दयाचन्द बरगोती पुत्र हरस्वरूप,
नि० म०नं०–5, नई ब्रेक पॉइंट रेस्टोरेंट,
भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलन्दशहर।

आपके पक्ष में जनपद–बागपत की तहसील, बडौत के ग्राम–छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 है० में दिनांक 25.10.2023 से 24.10.2028 तक शर्तो के अधीन उपखनिज बालू का खनन पट्टा स्वीकृत है।

खान निरीक्षक, बागपत की आख्या दिनांक 03.06.2024 में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर जीओ कॉर्डिनेट N- 29° 13′ 23.6" E-77° 8′20.95" के आस–पास 02 पिटो में उपखनिज बालू का अवैध खनन/अवैध परिवहन किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

पिट नं01– 27 मीटर लम्बाई, 17 मीटर चौडाई तथा औसत 0.75 मीटर की गहराई में 344.25 घनमीटर।

पिट नं02– 42 मीटर लम्बाई, 19 मीटर चौडाई तथा औसत 1.00 मीटर की गहराई में 798 घनमीटर।

इस प्रकार आपके द्वारा कुल 1142.25 घनमीटर बालू का अवैध खनन/ परिवहन किया जाना पाया गया। जोकि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियमो, पट्टा शर्तो का उल्लंघन है। स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर कुल 1142.25 घनमीटर बालू का अवैध खनन/परिवहन कर राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में 74246.25/–रू0, खनिज मूल्य के रूप में अंकन 3,71,231.25/–रू0 तथा उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली–2021 के नियम 58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अंकन 2,00,000/–रू0 कुल धनराशि अंकन 6,45,477.50/–रू0 की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसकी देयता आप पर बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवैध खनन/परिवहन की अधिरोपित धनराशि अंकन 6,45,477.50 रू0 तीन दिवस के अन्दर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध नही करायी जाती है तो उक्त धनराशि की वसूली भूराजस्व की बकाये की भॉति वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

7/6/24
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनिज),
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, बागपत की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

7/6/24
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनिज),
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

409 संलग्नक – 2

183

कोषागार प्रपत्र सं0–209 (A) (संशोधित)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2

516

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा .... स्टेट बैंक बागपत [illegible]

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम एवं पता .... राहुल कान्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० दयाचन्द [illegible] [illegible] नि – कुल-[illegible]

2. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

3. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) .... बालू [illegible] दपरौली [illegible] (मैसर्स [illegible] [illegible] बालू का अवैध खनन अवैध परिवहन किया गया कुल 1142.25 घ०मी० का खनन उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 21 के नियम 58 की धारा [illegible] उल्लंघन पर रायल्टी [illegible] [illegible] [illegible]

4. जमा की जा रही धनराशि

5. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/मुहर

6. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड़

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
0853	00	102			74246=
					371231.25
					200000-

धनराशि (शब्दों में) छ: लाख पैंतालीस हजार चार सौ सतत्तर [illegible] मात्र — योग 645477-00

अनुज कुमार (खान निरीक्षक)

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

भारतीय स्टेट बैंक/SBI (0740)
28 JUN 2024
Maker........ Checker

चालान संख्या ....

दिनांक ....

अंकों में रू0

शब्दों में रू0

ANSHUL KAPIL
[illegible]

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपकोषागार/बैंक की मुहर

[illegible] 06178

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांक 177 /खनिज-बागपत/बालू खनन/2025 दिनांक 17 अप्रैल, 2025

नोटिस

ROYAL CONSTRUCTION COMPANY
DEVIPURA 2 BULANDSHAHAR-203001
प्रो० श्री दयानन्द बरमोली पुत्र हरनाम,
निवासी मकान नम्बर-8, नई बैंक पॉइंट
रेस्टोरेन्ट के पास,
बुलन्दशहर।

आपके पक्ष में जनपद-बागपत की तहसील-बड़ौत स्थित ग्राम-छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 हे0 में साधारण बालू का खनन पट्टा दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 24.10.2028 तक स्वीकृत है। उक्त खनन क्षेत्र के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0सं0 756/2023 सचिन त्यागी बनाम रितेश शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के पैरा नं0-5 में निम्नवत् उल्लिखित है:-

"The Applicant has pointed out that such Illegal midstream sand mining by using heavy machines is still going on between Baghpat and Panipat. Hence, we constitute a fresh Committee comprising of the representative of MoEF&CC, representative Member Secretary, CPCB and RO, MoEF&CC Chandigarh and Lucknow. The RO, MoEF&CC, Lucknow will act as the Coordinating Agency. The Committee will visit the site in question specifically the sites disclosed in the photographs enclosed along with objections of Applicant and the area where the lease has been granted to the Respondent No. 5."

उक्त के कम में गठित समिति दिनांक 01.04.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट के पैरा नं0-3.2.1 (a) एवं (c) में निम्नवत् उल्लिखित किया गया है:-

(a) The Joint Committee was able to access a satellite image dated 18/06/2024 (Annexure-3 I), which depicts illegal mining activities outside the leased mining area in the state of Uttar Pradesh. The image also revealed multiple trucks and earth-moving machinery, along with vehicles using the leased area of M/s Royal Construction Co. to access the illegally mined area. However, no mining activities were observed within the leased mining area of M/s Royal Construction Co.

(c) Since no mining activity was observed within the leased area of M/s Royal Construction Co. in the satellite image, it indicates that the company may have illegally mined the material from outside its designated lease area, as visible in the image.

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 18.06.2024 को आपके द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किया जा रहा था। upmines.upsdc.gov.in के अवलोकन से दिनांक 18.06.2024 को आपके द्वारा कुल 578 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन/परिवहन किया गया हैं।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। आप द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 578 घनमीटर बालू का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर कुल 578 घनमीटर बालू का अवैध खनन/परिवहन कर राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में 37,570/-रू0, खनिज मूल्य के रूप में अंकन 1,87,850/-रू0 तथा उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली-2021 के नियम 58 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अंकन 2,00,000/-रू0 कुल धनराशि अंकन 4,25,420/-रू0 की राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवैध खनन/परिवहन की अधिरोपित धनराशि 4,25,420/-रू0 तत्काल निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय को एक तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध नही करायी जाती है तो उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनन),
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदया, बागपत की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनन),
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

सलग्नक-3

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2 कोषागार प्रपत्र–201 (1)

प्रपत्र संख्या–43 ए (1) (प्रस्तर 417 एवं 470 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा [illegible]

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम [illegible]
2. पता [illegible]
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) [illegible]
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है [illegible]
5. चालान की सकल राशि 4,25,420/-
6. चालान की निबल राशि 4,25,420/-
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर
8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य–शीर्षक	लघु शीर्षक	उप–शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 8 5 3	0 0	1 0 2			4,25,420/-
					4,25,420/-

धनराशि (शब्दों में) [illegible] योग 4,25,420/-

चालान में लेखा शीर्षक को पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

कार्यालय जिलाधिकारी

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या 623528 अंकों में रू0

दिनांक शब्दों में रू0

भारतीय स्टेट बैंक/SBI (00740) मुख्य शाखा, बागपत/Main Branch, Baghpat
02 JUL 2025
PF : 5637090 (RAJENDRA KUMAR)
Maker/Checker

भारतीय स्टेट बैंक/SBI (00740) मुख्य शाखा, बागपत/Main Branch, Baghpat
02 JUL 2025
PF : 1066390 (VARUN MANIK)
Maker/Checker

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार/बैंक की
मुहर सहित

Scanned with OKEN Scanner